"अ"-1-

[16/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 2150]

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

क्रमांक : पुमु/3/कार्मिक/7/ 1881 /2023 भोपाल, दिनांक 04.08.2023

प्रति,

समस्त जोनल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश.
पुलिस आयुक्त नगरीय, भोपाल/इंदौर.

विषय—दिनांक 28.7.2023 को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय समत्व में पुलिस परिवार समागम के दौरान मैदानी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने की माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा के संबंध में।

दिनांक 28.7.2023 को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय समत्व में पुलिस परिवार समागम के दौरान मैदानी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई है। इस संबंध में दिनांक 4.8.2023 को पुलिस महानिदेशक द्वारा ली गई वीडियो कांफ्रेसिंग में चर्चा के दौरान दिये गये निर्देशों का कृपया स्मरण करें, तद्नुसार निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1. कानून व्यवस्था ड्यूटी में 24 घंटे तैनात रहने वाले मैदानी स्तर पर पदस्थ पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश दिनांक 07.08.2023 से दिया जावे।
2. थाने में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी करने पश्चात् पूरे 24 घंटे का अवकाश सप्ताह में एक बार देय होगा तथा साप्ताहिक अवकाश के उपभोग के बाद अगले कार्यदिवस में प्रातः गणना (09.00 बजे) वापस आमद देना होगा।
3. पुलिस अधीक्षक अपने जिलों में थानाप्रभारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने का रोस्टर तैयार कर पालन सुनिश्चित करेंगे।
4. साप्ताहिक अवकाश के दौरान अधिकारी/कर्मचारी को जिले से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
5. प्रत्येक थाने में थानाप्रभारी की अनुपस्थिति में उनसे तत्काल बाद वरिष्ठ अधिकारी साप्ताहिक अवकाश के दौरान थाने के इंचार्ज थानाप्रभारी होंगे।

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग
(बी-4)
मंत्रालय, भोपाल

Scanned with CamScanner

6. यह सुनिश्चित किया जावे कि अनुभाग के अंतर्गत आने वाले थानों में से एक ही थाने के प्रभारी को साप्ताहिक अवकाश दिया जावे सभी को एक साथ नहीं।
7. प्रत्येक अनुभाग में उसके थानों के लिये लिंक–आफीसर पुलिस अधीक्षक द्वारा बनाये जाए ताकि तात्कालिक आवश्यकता होने पर उपलब्ध हो सकें।
8. थानों में महिला अधिकारी/कर्मचारियों की भी साप्ताहिक अवकाश में उपलब्धता बनी रहे ताकि महिला आवेदक आदि के आने पर एवं कानून व्यवस्था की स्थिति में कठिनाई न हो।
9. यदि जिले में V.I.P. भ्रमण अथवा अन्य कानून व्यवस्था की स्थिति संभावित हो तो आवश्यकतानुसार साप्ताहिक अवकाश में परिवर्तन किया जा सकेगा।
10. यह भी व्यवस्था रखी जावे कि यदि जिले में अचानक कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है तो साप्ताहिक अवकाश पर जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी तत्काल ड्यूटी पर उपस्थित हो सके।

अतः उपरोक्तानुसार साप्ताहिक अवकाश देने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश द्वारा अनुमोदित।)

04.08.23

(डी. श्रीनिवास राव)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल.

क्रमांक : पुमु/3/कार्मिक/7/ 1881 /2023 भोपाल, दिनांक 04.08.2023

प्रतिलिपि–
1. समस्त रेंज उप महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
3. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), भोपाल/इंदौर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

04.08.23.

(डी. श्रीनिवास राव)
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल.

Scanned with CamScanner